

Ref-Sep/GST/05

Date: 13/09/2019

To
GST Cell
Office of PFA HQ
G.M. Building
West Central Railway
Jabalpur (MP)

Subject: TDS on GST .


Ref :- Kota/Accounts/Expenditure/Misc dated 13.09.2019


Sir,

As per Section 51 of CGST Act, 2017 every specified person needs to deduct tax at the specified rate from the payment made or credited to the supplier of taxable goods or services or both, where the total value of such supply, under a contract, exceeds two lakh and fifty thousand rupees.

In the given case, due to variation in contact value, value exceeds Rs. 250000/- i.e. 292522/-, hence TDS shall have to be deducted on the whole contract value which have been paid after 1st October 2018 (effective date of implementation of GST-TDS provision).

For Rahul & Co.
Chartered Accountants


Dhawal Shrivastava
(Authorized Signatory)



पत्र संख्या:कोटा/लेखा/खर्च/विविध/1179

दिनांक 17.09.2019

उप मु.ले.अधि.(सामान्य)
GST CELL जबलपुर ।

विषय:- TDS On GST पर 2 प्रतिशत की कटौती के सम्बन्ध में।

इस कार्यालय को व.मं.सुरक्षा आयुक्त,रेल्वे सुरक्षा बल कोटा से Desktop computers & peripherals की AMC का एक बिल राशि 58504/ पास करने हेतु प्राप्त हुआ है।


फर्म को ठेका एक वर्ष की समयावधि दिनांक 19.05.2018 से 18.05.2019 तक की कुल राशि 234017.60 के लिये आंबटित किया गया था।

ठेके की राशि 2.50लाख रुपये से कम होने के कारण इस कार्यालय द्वारा फर्म के चार त्रैमासिक बिलो पर TDS On GST पर 2 प्रतिशत की कटौती नहीं की गई है।

अब सम्बन्धित विभाग ने ठेके की D.O.C में विस्तार करते हुये 25 प्रतिशत Variation की वृद्धि करी है जिसके परिणाम स्वरूप ठेके की कुल राशि (234017.60+58504.40) ₹ 292522 हो गई है।

नियमानुसार ठेके की राशि 2.50 लाख से अधिक होने पर 2 प्रतिशत TDS On GST की कटौती करी जानी चाहिये।

IPAS में बिल पास करते समय सिस्टम आटोमेटिक बिल की करयोग्य राशि का 2 प्रतिशत TDS की ही कटौती करता है। अतः पूर्व में पास किये गये चार बिलो के लिये 2 प्रतिशत TDS की कटौती किस प्रकार करी जाये और उस राशि को एकाउन्टल कैसे किया जाये। कृपया उचित दिशानिर्देश प्रदान करने का कष्ट करे।


(स.मण्डल वित्त प्रबन्धक)

कृते व.मण्डल वित्त प्रबन्धक.
कोटा ।